समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

क्रमांक :– लेखा/देव/2024/283 दिनांक :– 13-2-2025

ई–टेंडर/सीलबन्द निविदा सूचना संख्या : 04 – वर्ष 2024–25

इस विभाग के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना की खुली भूमि पर पार्किंग एवं केंटिन व राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री राधामाधव जी, वृन्दावन की केंटिन वार्षिक आधार पर 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से किराये पर निम्नानुसार ई–वोली आमंत्रित की जाती है –

क्र स	खुली भूमि /पार्किंग स्थल का विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	निविदा शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयो मे अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिषत))	ई–बोली प्रक्रिया पुल्क रू में
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना पार्किंग ठेका (ई–टेण्डर)	1,28,09,000/– रू0	2000/-	256180/-	1500/-
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना केंटिन ठेका (ई–टेण्डर)	43,05,000/– रू0	1000/-	86100/-	1000/-
3.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राधामाधव जी, वृन्दावन केंटिन ठेका (सीलबन्द निविदा)	1,42,950/– रू0	500/-	2859/-	-

बिड सख्या UBN NO.	, UBN NO.
बोली दस्तावेज डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.02.2025 को सायं 6 बजे से दिनाक 04.03.2025 सायं 6 बजे तक (ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा)
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.02.2025 को सायं 6 बजे से दिनांक 04.03.2025 सायं 6 बजे तक (ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा)
बोली/निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय (कार्यालय में)	दिनांक 05.03.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय ;- सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन
तकनिकी बिड ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं समय	05.03.2025 समय दोपहर 03.00 बजे कार्यालय ;-सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन

क्रमांक :– लेखा/देव/वृन्दा/2024/284 दिनांक :–13-2-2025

ई–टेंडर सूचना संख्या : 04(1) – वर्ष 2024–25

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना की पार्किगं ठेका वर्ष 2025–26 के लिए अस्थाई रूप से किराये पर पार्किगं हेतु ई–बोली पंजीकृत एवं समकक्ष निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रकिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in, http://eproc. rajasthan.gov.in तथा htpp:// sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन

क्रमांक :– लेखा / देव / वृन्दा / 2024 / 284 दिनांक :– 13-2-2025

ई–टेडर सूचना संख्या : 04(1) – वर्ष 2024–25

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल विहारी जी, बरसाना की पार्किग ठेका वर्ष 2025–26 के लिए अस्थाई रूप से किराये पर पार्किग हेतु ई–बोली पंजीकृत एवं समकक्ष निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रकिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in, http://eproc. rajasthan.gov.in तथा htpp:// sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

क्रमांक :– लेखा / देव / वृन्दा / 2024 / 305 दिनांक :– 13-2-2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त,देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को दी जाकर निवेदन है कि उक्त निविदा को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त संभाग, भरतपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर ।
4. श्रीमान प्रशासक एवं सिटी मंजिस्ट्रेट महोदय, मथुरा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बावत।
5. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर (आयुक्तालय प्रतिनिधि) को निवेदन है की बोली प्रक्रिया में उपस्थित होकर सम्पन्न करावे।
6. उप खण्ड अधिकारी / तहसीलदार छाता को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बावत।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, भरतपुर ।
8. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर / अजमेर / भरतपुर / जोधपुर / ऋषभदेव / कोटा / बीकानेर / हनुमानगढ / जयपुर प्रथम / जयपुर द्वितीय
9. निरीक्षक कार्यालय हाजा
10. केशियर कार्यालय हाजा।
11. प्रवंधक देवस्थान विभाग बरसाना / वृन्दावन / मथुरा को प्रेषित कर लेख है की उक्त विज्ञप्ति को मंदिर एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर अवगत करावे।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

वृन्दावन

शर्तेः—भाग अ

1. यह निविदा / बोली वेबसाइट www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है। निविदा / बोली में भाग लेने हेतु वेबसाइट www. eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निविदा दर प्रस्तावित किये जा सकेगें।
2. निविदा / बोली दर वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा सूचना संख्या 4(1) वर्ष 2024–25 में निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड / अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड / लिफाफा पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में जमा की जावेगी। तकनीकी बिड के मूल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों / फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबध में पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवशं उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
3. उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दशाई गई बोली शुल्क व धरोहर राशि के अलग–अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन के नाम वृन्दावन में भुगतान योग्य बनवानी होगी । क्रम संख्या 6 मे अंकित प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन रूप से अपलोड करनी होगी। उपरान्त निविदा / बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क , धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्क के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित बोलीदाता के ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा। पूर्व की कोई भी राशि समायोजित नहीं की जावेगी ना ही धरोहर राशि बकाया राशि में समायोजित की जावेगी।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं विना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार कार्यालय उपापन समिति की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
5. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति / शारित एवं आगामी बोली से वंचित / अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. ई–बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

   (अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निविदा में भाग लेने के इच्छुक पंजीकृत फर्मो / कम्पनी / व्यक्ति को इन्टरनेट साईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉग–ईन / साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवष्यकता नहीं है।

   (ब) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा बोली अमान्य होगी। **कोई भी बोली प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।**

   (स) इलैक्ट्रोनिक बोली प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन संलग्न कर दी गई है। यथा शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र आदि।

(द) निर्धारित दिनांक तक कोई बोलीदाता बोली दस्तावेज इलैक्ट्रोनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

7. शर्तयुक्त बोली/निविदा दर मान्य नहीं होगी।
8. बोली की अन्य शर्तें/विवरण की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है।
9. बोली स्वीकृति की सूचना उपरान्त सात दिवस में अनुबन्ध तहरीर कर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा । अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ठेके की स्वीकृति की सूचना देते ही 7 दिवस में ठेकेदार को 500 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्ती की कार्यवाही की जाकर आपकी बोली निरस्त कर दी जावेगी । विभागीय स्वीकृति पत्र की सुचना दिए गए ई–मेल/मोबाईल नम्बर व व्हाटअसप पर भी मान्य होगी।
10. पार्किंग स्थल विभाग द्वारा चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाएगा । वाहन पार्किगं ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए एक ही नम्बर के दो कूपन काटे जाएंगे जिनमें से एक कूपन वाहन पर लगाया जाएगा तथा दूसरा कूपन वाहन जमाकर्ता को दिया जाएगा । सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य राजकीय वाहनों को छोडकर संवेदक द्वारा 04 घंटे के हिसाब से सर्वसाधारण से निम्न किराया वसूल किया जाएगा :–

क्रंस	वहन	राशि (प्रति वाहन)
1	दुपहिया वाहन	20 रू
2	आटो	30 रू
3	कार/जीप	50 रू
4	बस/मिनी बज	70 रू

- 04 घंटे से 24 घंटे तक निर्धारित शुल्क का दोगुना होगा।
- वाहन पांर्किग सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी।
- उक्त राशि से ज्यादा राशि लेने पर यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई/अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान मे आई तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी ।
- सर्व साधारण द्वारा अपना वाहन स्टेण्ड पर जमा करवाने पर संवदेक द्वारा एक कूपन दिया जायेगा , जिस पर संवेदक का नाम, टोकन नं0, निर्धारित शुल्क, किस्म वाहन व नम्बर एवं समय आदि अंकित होगा।

11. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर खड़े किये जाने वाले वाहन के मालिकों को टोकन जारी किया जावेगा । टोकन पर वाहनों के प्रकार अनुसार शुल्क राशि अंकित करनी होगी । निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ठेकेदार द्वारा वाहन मालिक से वसूल नहीं की जावेगी । **इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम शिकायत पर 5000/– रूपयें एवं द्वितीय शिकायत पर 10000/– रूपये पेनेल्टी लगाई जावेगी व तीसरी शिकायत पर 20000/–रू पेनल्टी एवं संवेदक का ठेका निरस्त करने की कार्यवाही किसी भी स्तर पर की जायेगीं। (यथा प्रथम शिकायत, द्वितीय शिकायत, तृतीय शिकायत)** पार्किगं ठेकेदार द्वारा दोनों साइडों की पार्किगं व्यवस्था में कोई भी दुकान,रेहड़ी पट्टा,उठाउ पल्ली आदि नहीं लगाई जावेगी ।
12. पार्किंग स्थल पर पानी,विजली जनरेटर व फैंसिंग की समस्त व्यवस्थाएँ ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी ।
13. वाहनों को सुरक्षित रखने का समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा । किसी भी प्राकृतिक विपदा पर वाहन जो संवेदक की सुरक्षा में रखे गये है कि हानि पर पर उसका हर्जाना भरने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, इस हर्जाने की भरपाई के लिये संवेदक चाहे तो स्टेण्ड का बीमा करवा सकता है । बीमें की किस्त का वहण संवेदक को करना होगा ।
14. संवेदक के संरक्षण मे वाहन खो जाने पर वाहन आदि का उचित मूल्य संवेदक को देना होगा । पार्किग स्थल से वाहन गुम हो जाने या वाहन को किसी भी तरह का नुकसान होने पर उसका समस्त दायित्व संवेदक अनुबन्धकर्ता का होगा इसमें देवस्थान विभाग की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

वाहन सुरक्षा बाबत आवश्यक सी0सी0 टीवी कैमरे व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था संवेदक अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से करेगा । देवस्थान विभाग स्तर का समस्त बकाया निपटारा नहीं होने तक संवेदक की जमा धरोहर राशि वापिस नहीं होगी ।

15. निर्धारित पार्किंग व्यवसायिक स्थल को ठेकेदार सिर्फ वाहन खड़ा करने के लिये काम में लेगा उसका अन्य किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा ।
16. निविदादाता को व्यवस्था बनाये रखने के लिये वाहन पार्किंग की जगह की पर्याप्त बेरीकेडिंग करवाने/खाई खुदवाने का कार्य स्वंय के खर्चे पर करवाना होगा जिसमें पेड़ या पोधों को हानि नहीं पहुँचाई जावे । ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा।
17. ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निजी खर्च पर बोर्ड लगाने होगें जिसपर शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा बोर्ड नहीं लगाने की स्थिति में ठेकेदार पर पेनेल्टी लगाई जावेगी ।
18. शर्तयुक्त बोली दर मान्य नहीं होगी।
19. बोली की अन्य शर्ते/विवरण की जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है।
20. अधिकतम बोली/सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा।
21. इस कार्य के सबंधित कर्मचारी के प्रति अनुबंधकर्ता स्वयं भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों की पालना करने के लिए उत्तरदायी हैं, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो।
22. अनुबंधकर्ता सभी कर्मचारियों/श्रमिकों जिसे उसने इस कार्य हेतु लगाया है के लिए जिम्मेवार होगा और सारे इक्वीपमेंन्ट जो उसके इस कार्य को करने हेतु उपयोग में लिया है के प्रति वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
23. अनुबन्धकर्ता को कार्य वर्तमान मे लागू सभी मान्य अधिनियम, नियम एवं उप नियम के अन्तर्गत कराना होगा।
24. निविदादाता द्वारा मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. दिया जाना अनिवार्य है।

शर्तें:–भाग ब

25. सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनिवार्य पंजीकृत प्रपत्र –

क्र.स.	विवरण	सलंग्न क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	
2	आधार कार्ड नंबर	
3.	पैन नम्बर	
4	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत (लागू होने की स्थिति में)	

निविदादाता के हस्ताक्षर

शर्तें भाग स –

1. ई निविदा शुल्क राशि रूपये 2000/– **(सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन)**, धरोहर राशि रूपये 2,56,180/– **(सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन)**, प्रोसेसिंग शुल्क रूपय 1500/– **(MD RISL JAIPUR के नाम)** एवं घोषणा प्रपत्र। वांछित राशि की डी. डी. के साथ दिनांक 05. 03.2025 को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (राजस्थान सरकार) वृन्दावन, मथुरा में जमा करवाना होगा।
2. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :–बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नहीं होना चाहिये। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप मे प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. यदि कोई साझेदारी फर्म/कम्पनी बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्ट्रर्ड साझेदारी संलेख एवं सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली मे भाग नहीं ले सकती।

4. जिस व्यक्ति/साझेदारी/कम्पनी फर्म के नाम अधिकतम बोली प्रस्ताव स्वीकृत होगा उसको धरोहर राशि के रूप में 25 प्रतिशत राशि अग्रिम की राशि उसी दिन जमा करानी होगी अन्यथा बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी । बोली स्वीकृत होने पर 75 प्रतिशत राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी –

25 प्रतिशत राशि	दिनांक 01.06.2025
25 प्रतिशत राशि	दिनांक 01.08.2025
25 प्रतिशत राशि	दिनांक 01.10.2025

समय पर राशि न जमा कराने पर जमा धरोहर राशि को जब्त करते हुए ठेका निरस्तिकरण के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। साथ ही भविष्य के लिए debar करने की कार्यवाही भी की जावेगी साथ ही राशि चैक/डी.डी./ई–चालान द्वारा ही मान्य होगी।

5. अधिकतम बोलीदाता के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जाएगे। आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को इन्तजार करना होगा। यदि यह स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तो बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति व अग्रिम जमा राशि बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता हैं। इस अवधि के इन्तजार नहीं किये जाने पर या संपदा की जरूरत नहीं होने पर बोलीदाता संपदा किराये पर नहीं लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि मय बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। जिसमें बोलीदाता किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा।
6. अधिकतम बोलीदाता के नाम संपदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। साथ ही मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी. पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी तथा विभागीय वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गयी अग्रिम धरोहर राशि जब्त करके संपदा पुनः ठेके पर दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
7. पार्किंग संपदा ठेके पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 7 दिन के अन्दर उसे अनुबंध पत्र निष्पादित एवं शेष 75 प्रतिशत राशि को बिन्दू संख्या 4 अनुसार जमा करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अवधि मे अनुबंध पत्र एवं निष्पादित नहीं करने एवं बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप मे हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति राशि मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी बोली कर सकेगा, अन्य विकल्प पर विचार अथवा पार्किंग संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप मे कर

सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा सुपर्द किया जावेगा। अनुबंध पत्र बोलीदाता को स्वंय के खर्चे से कराना होगा।

8. **अनुबंधकर्ता को उक्त ठेके की राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि जीएसटी आदि, का भुगतान स्वयं करना होगा तथा इस प्रकृति के कार्यों के सम्बन्धित समस्त कर/शुल्क इत्यादि का समस्त उत्तरदायित्व स्वंय बोलीदाता का होगा।**

9. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

10. यदि अनुबंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

11. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर निगम या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानों के कारण आपत्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध मे सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा तथा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती देय नहीं होगी। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. अनुबन्ध पत्र मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंधकर्ता के विरूद्ध पार्किंग संपदा से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कार्यवाही की जाकर पार्किंग संपदा की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगीं।

13. ठेके की अवधि मे अनुबंधकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे लीज का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग पार्किंग संपदा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

14. ठेके राशि का देय होनाः–प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार 25 प्रतिशत की अनुमोदित ठेके राशि अग्रिम रूप देय होगी। बोली स्वीकृत होने पर शेष 75 प्रतिशत राशि को बिन्दू संख्या 4 अनुसार जमा करना आवश्यक होगा।

15. पार्किंग की व्यवस्था संबंधी प्रावधानः–

(1) संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी एवं लीज समाप्ति पश्चात् जिस स्थिति में सुपुर्द की गयी थी, उसी स्थिति में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को सभंलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आईटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेगा।
(2) पार्किंग संपदा में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता स्वंय के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के साथ–साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटरहार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

16. राज्य सरकार (उत्तरप्रदेश) द्वारा कोरोना महामारी अथवा अन्यथा लॉकडाउन लगाकर धार्मिक स्थलों को बन्द किया जाता है तो इस अवधि (मंदिर बंद रहने की अवधि) के अनुपातिक अवधि में ठेका अवधि को वडाया जा सकेगा।

17. देवस्थान विभाग वृन्दावन के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथा आवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनो की कार्यवाही की जा सकेगी।

18. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस स्वंय प्राप्त करना होगा तथा कक्ष मे उसे प्रदर्शित करना होगा।

19. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी,मेला आदि की दशा मे परिसर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा
20. अनुबंध पत्र के निष्पादन मे देय स्टॉम्प–शुल्क और जो भी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व ठेकाधारक का होगा।
21. अनुबंधकर्ता सम्पदा मे किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अथवा वाहनों के सुविधार्थ साज सज्जा हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।
22. ठेका अवधि को नियमानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
23. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साईनबोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्‌टी पर **देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की सम्पदा** अंकित करना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा सम्पदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
24. विभाग द्वारा सम्पदा जैसी भी स्थिति मे है अनुवंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
25. संवेदक पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय पांकिग स्थल पर नहीं करेगा।
26. संवेदक परिसर मे किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
27. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा संपदा मे रख सकेगा तथा उसको संवेदक को बिना वाधा के सम्पदा मे सदृश्य रूप मे लगाना होगा।
28. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को संवेदक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। संवेदक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा बनाई विभागीय नीति से वाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा ठेका पर दिये जाने की स्वीकृति मे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित सवेदक (बाध्य) होगा।
29. राज्य सरकार या नगर निगम, नगर विकास न्यास द्वारा/नगर विकास प्राधिकरण यदि सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो संवेदक को ठेके की राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा।
30. संपदा मे बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। साथ ही उसका उप किरायेदार मान्य नहीं होगा। यदि संवेदक ने शर्तो की अवहेलना की तो ठेका निरस्त करते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
31. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन आवश्कतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्ते राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड/हटा सकते हैं।
32. संवेदक के लिये कार्य करने वाले उसके कर्मचारियो पर श्रम विभाग की सभी शर्ते लागु होगी जिसे संवेदक को मानना बाध्यकारी होगा।
33. इस निविदा वावत कोई भी अंतिम निर्णय उपापन समिति के अध्यधीन होगा।
34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान इस निविदा पर लागू होते है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	
3	कार्य का विवरण	ठेका पांर्किग मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना
4	ठेके की अनुमानित राशि	कुल 1,28,09,000/–रू0 वार्षिक मूल्य
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता.. टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न.. मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आइडी .... वैब साईट...	
6	बिड का प्रकार Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in	
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं............ ....दिनांक..............................राशि रूपये.............. ....बैंक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
7	बिड प्रतिभूति	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. न............ ....दिनांक..............................राशि रूपये.............. ....बैंक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm whether/proprietorship/ partnership/company	स्थिति(कम्पनी/संस्था/फर्म/कार्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि)
	(a) In case of proprietorship firm:-	नाम.. पिता का नाम... पता.. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक........................ पंजियन अधिकारी का पता............................... पंजियन की वैद्यता..

	(b) In case of partnership firm	नाम.. पिता का नाम.. पता.. Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)
	(c) In case of company (Note-Enclose the Registration certificate of company)	Name & Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक....................... पजियन अधिकारी का पता............................. पंजियन की वैद्यता..
9	प्रोसेसिंग फीस	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम राशि ....डी.डी. नम्बर............................
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	आधार कार्ड नम्बर	
13	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या.. बैक/ब्रांच का नाम.. आईएफएससी कोड..
14	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	
15	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर .... पर संलग्न है

दिनांकः

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र. सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दर
1	1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल बिहारी जी, बरसाना (पार्किंग ठेका)	1,28,09,000/- रू0 वार्षिक मूल्य	प्रस्तावित दरे e-proc पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें।

नोट :- 1. प्रस्तावित दर e-proc पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. समस्त प्रकार के करों यथा आयकर/जी.एस.टी. आदि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा स्वय के स्तर से अतिरिक्त किया जायेगा।
3. प्रस्तावित दरे कर रहित होगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
वृन्दावन

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
फर्म/कम्पनी का नाम

<u>घोषणा पत्र</u>

(50 रू. के स्टाम्प पर)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म/इकाई/एजेन्सी/संस्था द्वारा जहां भी ठेका संचालन का कार्य किया हैं। उसमें विगत 3 वर्षो किसी भी कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपकम/कम्पनी द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमे किसी भी न्यायालय द्वारा ठेका संचालन में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य हैं यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समाप्त/जब्त कर दिया जाये तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जाये। मेरे/हमारे द्वारा समस्त शर्तें एवं निविदा दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ लिया गया हैं तथा हमें पूर्णतया स्वीकार हैं, जिसे हस्ताक्षर सहित उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय फर्म एवं स्वयं का पूर्ण नाम

डाक पता :–..

मोबाईल नं. :–....................................

फोन नं. :–...............................

<u>प्रमाण – पत्र</u>

(50 रू. के स्टाम्प पर)

मैं प्रमाणित करता हूँ मैंने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के निविदा संख्या .... दिनांक .... द्वारा जारी किए गए मूल निविदा दस्तावेजो के नियम व शर्तो को ध्यान पूर्वक पड लिया है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तो पर सहमत हूँ तथा कार्योदेश मिलने पर केन्टीन सुव्यवरिथत एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगा एवं 25 प्रतिशत राशि निविदा खोलने के समय एवं शेष राशि अनुमोदन होने के पश्चात बिन्दु संख्या 4 अनुसार जमा कराने के लिए बाध्य हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय फर्म एवं स्वयं का पूर्ण नाम

डाक पता :–..

मोबाईल नं. :–......................................

फोन नं. :–................................

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more

parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or througha common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.................................. For procurement of

.... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated...................I/We

hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of bidder

Date

Name:

Place

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Assistant Commissiner Devasthan Department ,

Vrindavan

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Commissiner Devasthan Department ,

Udaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many

copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or througha registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the ....(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal : ....

   Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

AFFIDAVIT

I ………………………………. S/o……………………………………………………………………………… aged

……………………………. Years ……………… Resident of………………………………………………… On

behalf of the tenderer i.e. M/s …………………

Hereby take oath and state as under:

1. That I/We have submitted a tender for ……………………………………………………………………………
2. That I/We have gone througha the terms & conditions of the tender document.
3. That the provisions of the EPF & MP Act are not applicable on me/us (i.e.the above tenderer / contractor).
4. That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of the EPF & MP Act, then I/we will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioners.

Deponent

(Authorised signatory)

Verification

I, the above mentioned deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, and no part of it is wrong and that nothing material has been concealed. So help me god.

Deponent

(Authorised signatory)

(Authorised Signatory)

Dated: ----------

Name of the Designation/ Relationship of the authorised Signatory with the tenderer

Place: ------

Annexure-E

AFFIDAVIT

RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-08/2021-22 fnuakd : 14.07.2021

Name of Tenderer..

I,..S/o Shri...............................aged.............Years, resident of.. on behalf of the tenderer i.e. M/s...hereby undertake oath and state as under:-

(1) I / We are not having or had any litigation with the Devasthan Department /any other company in relation to the work. In case of litigation with Devasthan Department or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict me/us in smooth execution of tendered work.

(2) I / We have not been banned or suspended /de-listed by Devasthan Department.

(3) I / We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender conditions anywhere else in our offer &

(4) I / We declare that price bid is in prescribed & no conditions are attached to it.Even if any conditions /s found, those would be ignored at the risk & cost of us.

(5) That we are registered under MSMED act & the registration number of the firm is… .... (Copy enclosed).

Or

That we are not registered under MSMED act.

(6) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the purpose and contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract period and scope of work of the tender document and all terms& conditions of this tender and these are acceptable to we/us.

(7) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the provision of Rajasthan Transparency in public procurement Rules 2013 and all terms& conditions mentioned therein are acceptable to we/us.

(8) I hereby declare that as on date no default has been made by us towards payment of GST and all returns up to the last date of submission of bid have been filled by us."

Signature of Tenderer (s)

(Authorised Signatory)

With sealPlace:Date: